न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 67/2017 **दायरा दिनांक : 19.06.2017**

उनवान

1— जगदीश वल्द रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— रामचरण वल्द रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— राधेश्याम वल्द रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— कृष्णा बाई पुत्री रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— दरयाब बाई पुत्री रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— गंगाराम वल्द प्रभूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— धन्नालाल वल्द प्रभूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 89/2017 **दायरा दिनांक : 10.07.2017**

उनवान

1— जगदीश वल्द रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— रामचरण वल्द रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— राधेश्याम वल्द रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— कृष्णा बाई पुत्री रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— दरयाब बाई पुत्री रोडूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम खेंजडा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— गंगाराम वल्द प्रभूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2— धन्नालाल वल्द प्रभूलाल, जाति लोघा, निवासी ग्राम मोईकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— शाखा प्रबन्धक महोदय, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अकलेरा

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र नन्दवाना अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.03.2018**

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 75/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खेजडा, तहसील अकलेरा में नयी खतौनी संख्या 60 खसरा नम्बर 239 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 244 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 562 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 803 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 807 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 987 रकबा 7 बिस्वा कुल 7 किता की 15 बीघा 16 बिस्वा स्थित है । प्रतिवादी नम्बर 1 गंगाराम और प्रतिवादी नम्बर 2 धन्नालाल का पिता भंवर सिंह के यहां ग्राम मोईकलां में गोद चला गया था, इस कारण उनके पिता का कोई हिस्सा नहीं रहता है। हिस्सा नहीं रहते हुए भी उनके द्वारा अपने हिस्से की सीमा तक की आराजी 1,07000/– रूपये में वादीगण के पिता को बेचान कर दी थी । वादीगण के पिता और पितामह का 80 वर्षों से लगातार शांतिपूर्वक बिना रोक टोक कब्जा चला आ रहा है । कब्जा मुखालफाने के आधार पर भी वादीगण

खातेदार हो चुके हैं । प्रतिवादीगण ने इकरारनामा दिनांक 06.05.90 को 10/– रूपये के स्टाम पर निष्पादित किया । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज किया है । एक अन्य दावा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खिलाफ वादग्रस्त आराजी के विभाजन के लिए पेश किया गया । दोनों दावों का निस्तारण एक साथ किया गया और अपीलाधीन निर्णय से वादीगण का दावा खारिज किया है और प्रतिवादीगण का दावा 75/दावा/2011 स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह दोनों अपीलं पेश की गई हैं ।

अपील संख्या 67/2017 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 प्रकरण संख्या 75/दावा 2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई और अपील संख्या 89/2.17 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 प्रकरण संख्या 72/दावा 2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा संख्या 72/दावा/2011 खारिज करने और दावा संख्या 75/दावा/2011 डिक्री करने में त्रुटि की है । पत्रावली प्रतिवादी की शहादत में लम्बित थी और बिना किसी सहमति के इसको लोक अदालत में रखा गया । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण ने हक घोषणा का दावा पेश किया था और रेस्पोडेंट ने विभाजन का दावा पेश किया था । दोनों दावों का एक साथ निस्तारण किया गया है । निस्तारण लोक अदालत में किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई सहमति नहीं हुई है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट का विभाजन का दावा था जो डिक्री किया गया है । राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । वादी अपीलांट गोद जाने की बात करते हैं परन्तु रेस्पोडेंट के पिता गोद नहीं गये थे । प्रतिकूल कब्जे की बात करते हैं जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं । दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण में से जगदीश और प्रतिवादीगण 1 और 2 उपस्थित हुए हैं । समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है फिर भी लोक अदालत में उसी दिन निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा

पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 67/2017 एवं 89/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा